प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.09.2026

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , जिनके कब्जे से कुल 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 04.09.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त (1) नंदलाल कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम नानपुर थाना नानपुर जिला सीतामणि बिहार हाल पता गली नं0 05 खान अस्पताल के पास सेक्टर 120 सरफाबाद नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष (2) अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी म0नं0 278 गली नं0 06 सुदामापुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को शाहबेरी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग दिल्ली से सस्ते दामो पर गांजा लेकर आते है तथा उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामो पर लाल क्वाटर्स व सुदामापुरी के आस पास रहने वाले गांजा पीने वाले लोगो को गांजा बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) नंदलाल कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम नानपुर थाना नानपुर जिला सीतामणि बिहार हाल पता गली नं0 05 खान अस्पताल के पास सेक्टर 120 सरफाबाद नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष ।

(2) अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी म0नं0 278 गली नं0 06 सुदामापुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त अनिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना से0 113 गौतमबुद्ध पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना से0 49 गौतमबुद्धनगर पर जुआ अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना से0 58 गौतमबुद्धनगर पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना एक्सप्रेस वे गौतमबुद्धनगर पर अवैध शराब से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 04.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी मार्केट में नगर निगम की पार्किंग के पास स्कूल के सामने गली में जुआ खेलने वाले 05 अभियुक्तों 1. जय पुत्र मनोज कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी छोटा कैला हापुड मोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद 2. सचिन पुत्र मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी छोटा कैला हापुड मोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद 3. रोहित पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष

निवासी प्रताप विहार फौजी कैंप से आगे सी 84 सेक्टर 11 थाना विजयनगर गाजियाबाद 4. शोएब पुत्र इकलाख उम्र 24 वर्ष निवासी छोटा कैला अम्बेडकर धर्मशाला के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद 5. तिलक पुत्र जयहिंद उम्र 42 वर्ष निवासी छोटा कैला हापुड मोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को मय 52 ताश के पत्ते व फड़ से कुल 14030 रूपये के साथ गिरफ्तार किया है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1. जय पुत्र मनोज कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी छोटा कैला हापुड मोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. सचिन पुत्र मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी छोटा कैला हापुड मोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. रोहित पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी प्रताप विहार फौजी कैंप से आगे सी 84 सेक्टर 11 थाना विजयनगर गाजियाबाद
4. शोएब पुत्र इकलाख उम्र 24 वर्ष निवासी छोटा कैला अम्बेडकर धर्मशाला के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. तिलक पुत्र जयहिंद उम्र 42 वर्ष निवासी छोटा कैला हापुड मोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मानव तस्करी गैंग की एक वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 11.08.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादी फुरकान पुत्र सहरूद्दीन निवासी शौकीन का मकान गली न0 04 करन गेट पुलिस चौकी के सामने थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी का 03 माह का एक बच्चा एक व्यक्ति जो कि बराबर में उसी मकान मे किराये पर रहता था जिसका नाम नौशाद व उसकी पत्नी रुखसार द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था । थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.08.2026 को एनुल, नसीम, नौशाद, नागेन्द्र, मौसीना, आविद, रुखसार, सुमित्रा को गिरफ्तार कर नाबालिग बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 143(4), 61(2) की बढौतरी की गयी। आज दिनांक 04.03.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता सितारा पत्नी शहजाद निवासी मौहल्ला डंगडूगरा छोटी नहर कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 30 वर्ष को चेकिंग के दौरान गरिमा गार्डन बैंक ऑफ इंडिया के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता सितारा उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ करने पर बताया कि मै अपने साथियों एनुल, नसीम, नौशाद, नागेन्द्र, मौसीना, आविद, रुखसार, सुमित्रा के साथ मिल कर बच्चो चोरी करके जिन्हे बच्चों की जरूरत होती उन्हे बच्चे बेच देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः

1. सितारा पत्नी शहजाद निवासी मौहल्ला डंगडूगरा छोटी नहर कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 30 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः

गिरफ्तार अभियुक्ता सितारा के विरुद्ध थाना टीलामोड़ उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा 02 साल से वांछित चल रहे बैंक लोन फ्रॉड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.12.2024 को थाना लिंक रोड पर वादिया द्वारा सूचना दी गई कि मेरा मकान नं0- 237 बी ग्राम साहिबाबाद पर पंकज सिंह व निशू रानी नाम के लोगो द्वारा मेरे मकान के फर्जी कागज तैयार कराकर 17 लाख रूपए का लोन करा लिया है, वादिया की तहरीर के आधार थाना लिंक रोड पर धारा 318(4),336(3),338 में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर साहिबाबाद मंडी मेन गेट के पास से दिनांक 03.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज सिंह से पूछताछ में बताया कि मेरी अपनी एक दूकान कॉस्मेटिक की शालीमार गार्डन एसबी 33 किराये पर थी। वहीं पर मुझे प्रदीप निवासी ग्राम निस्तौली, थाना टीला मोड से मुलाकात हुई, उससे मैने एक लाख 15 प्रतिशत मासिक ब्याज पर उधार लिये थे। जब वो मुझसे अपने रुपये मांगने लगा तो व्यवस्था नही हो पायी तभी उसने बताया कि मैं लोन करवा सकता हुँ, जिससे तुम्हारा कर्ज उतर जायेगा, जैसा मैं कहता हूँ, ऐसा करते रहो, उसने मुझे वासुदेव नामक व्यक्ति से मिलवाया, रोहित व प्रदीप मिलकर लोन कराते है। प्रदीप व रोहित ने मिलकर मेरी पावर आफ अटारनी बनवायी, वासुदेव नाम के व्यक्ति के मकान की जो ग्राम साहिबाबाद में था। पावर ऑफ अटारनी के आधार पर मैने अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री कर दी और मेरे द्वारा उपरोक्त सभी लोगो ने मिलकर 17 लाख रुपये का लोन करा दिया, लोन के पैसे आने के बाद प्रदीप व रोहित द्वारा 10 लाख NEFT का फार्म भर लिया और प्रदीप ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया तथा 3.50 लाख रुपये रोहित द्वारा लोन कराने के लिए जिसमें कुछ पैसा नगद व कुछ खाते से लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पंकज सिंह पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम पंसौडा अम्बेडकर चौपाल के सामने वाली गली थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द थाना लिंक रोड पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.08.2026 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सुहैल उर्फ काले पुत्र लतीफ द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष के साथ दुष्कर्म करना, जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा-64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.09.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुहैल पुत्र लतीफ निवासी बागराणप लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादिया की पुत्री से मेरी पिछले कई महीनों से जान पहचान व बातचीत थी, मैंने अपने घर पर उसको बुलाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुहैल पुत्र लतीफ निवासी बागराणप लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1062 ग्राम गांजा बरामद।

आज दिनांक 04.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजा के साथ अभियुक्त रणवीर पुत्र बंशीलाल निवासी राहुल गार्डन बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को बन्द फाटक थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1062 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा-8/20 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे गांजा खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये राह चलते लोगों को अधिक पैसों में बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रणवीर पुत्र बंशीलाल निवासी राहुल गार्डन बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 1062 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये हार्डवेयर का सामान बरामद ।

दिनांक 06.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की सैनैट्री की दुकान से सैनेट्री का सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में विवेचनात्मक कार्यवाही से धारा 331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त 1. गुड्डू उर्फ हसरत पुत्र जमिल निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत, उम्र करीब 40 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 10 बडी टोटियाँ, 02 छोटी टोटियाँ, 11 प्लास्टिक की फिटिंग (जिसमें पीली धातु लगी है), 14 छोटी एल्बो लोहे की, 02 बडी एल्बो लोहे की, 04 पाईप कनेक्टर लोहे के, 04 टी लोहे की व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि जो सामान मुझसे बरामद हुआ है, यह सामान मैंने करीब 02 माह पहले एक सैनेट्री की दुकान से चोरी किया था। इसमें से कुछ सामान मैंने बेच दिया है आज बचे हुये सामान को बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

गुड्डू उर्फ हसरत पुत्र जमिल निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत, उम्र करीब 40 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 10 बडी टोटियाँ, 02 छोटी टोटियाँ, 11 प्लास्टिक की फिटिंग (जिसमें पीली धातु लगी है), 14 छोटी एल्बो लोहे की, 02 बडी एल्बो लोहे की, 04 पाईप कनेक्टर लोहे के, 04 टी लोहे की व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुये।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।